

संस्थान फिल्टर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

अतारंकित प्रश्न ख : 31

21 , 2019 प्रश्न त

31. श्री रविवद्र श्यामनारायण उफ रवि किशन शुक्ला:

श्री फ

श्री

श्री

श्री श्रं

क स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ते फ

- () पिछले चार वर्षों के दौरान देश म स्थापित ते ख
, ष प्र महाराष्ट्र म कितनी है और उन व्यक्तियों को संख्या के साथ,
तं क डिग्री पूरी करने के बाद डॉक्टर बन गए;
- () क्या सरकार को डॉक्टरों को कमी और आवश्यकता के बारे म पता है और यदि हां, ज /
ज क्षेत्र- त ढ क ;
- () क्या सरकार का प्रत्येक तीन जिलों/प्रत्येक निवाचन क्षेत्र म एक मेडिकल कॉलेज स्थापित
प्रस फ , त ढ क ;
- () क्या सरकार को राज्य म मेडिकल कॉलेज ते स फ
झारखण्ड से आए जनप्रतिनिधियों का कोई पत्र/प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, फ , त ढ
क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कारवाई ते ;
- () क्या सरकार का महाराष्ट्र म कोई मेडिकल स फ ,
त ब्यौरा क्या है?

त

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे)

- (क): पिछले चार वर्षों के दौरान देश म स्थापित सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों का राज्य / कद्र
प्र - ग -। फ 2016-17 के दौरान कॉलेजों म भर्ती हुए
त्र क्ष 2021-22 म एमबीबीएस पाठ्यक्रम को अंतिम परीक्षा म बैठगे।

(ख): भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 31 फरवरी, 2018

11,46,3044 एलोपैथिक चिकित्सक राज्य चिकित्सा परिषद में पंजीकृत हैं। 80% डॉक्टर हैं, अनुमान है कि लगभग 9.17 लाख डॉक्टर वास्तव में सक्रिय सेवा के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। 1.35 बिलियन के वर्तमान जनसंख्या अनुमान के अनुसार यह 1:1472 का डॉक्टर-रु

डॉक्टरों को संख्या बढ़ाने के लिए सरकार ने भी कई कदम उठाए हैं। इसमें निम्नलिखित हैं :

- (i) सहायक चिकित्सक / डॉक्टरों की संख्या को 1:1 से 1:2 तक बढ़ाया गया है। सर्जिकल ऑकोलॉजी और साइकेट्री विषयों में इस अनुपात को 1:1 से 1:3 कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रोफेसर के लिए सावजनिक रूप से वित्त चिकित्सा प्रोग्रामों के अनुपात को सभी नैदानिक विषयों में 1:2 से 1:3 तक बढ़ाया जाएगा।
- (ii) संकाय को कमी को पूरा करने हेतु संकाय के रूप में नियुक्ति के लिए डीएनबी अहता को मान्य प्रोग्रामों में शामिल किया जाएगा।
- (iii) सहायक चिकित्सक की संख्या 150 से 250 तक बढ़ाई जाएगी।
- (iv) प्रोफेसर, कमचारियों, सहायक प्रोफेसरों की संख्या में वृद्धि की जाएगी।
- (v) चिकित्सा कॉलेजों को स्थापित करने के लिए 243 () करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया जाएगा।
- (vi) सहायक चिकित्सक पाठ्यक्रम शुरू करने/सहायक चिकित्सक सीटों में वृद्धि करने हेतु राज्य मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण/उन्नत किया जाएगा।
- (vii) देश के अल्पसेवित जिलों को प्राथमिकता देते हुए जिला/रेफरल अस्पतालों में मेडिकल कॉलेजों को स्थापित किया जाएगा।
- (viii) एमबीबीएस सीटों को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मौजूदा मेडिकल कॉलेजों का विस्तार किया जाएगा।
- (ix) सहायक चिकित्सक / डॉक्टरों / निदेशक के पदों पर नियुक्ति / विस्तार / -सीमा 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करना।

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार डॉक्टरों को कमी और आवश्यकता का विवरण अनुलग्नक -II, III और IV में दिया गया है।

() () : देश के प्रत्येक राज्य में प्रत्येक 3 संसदीय क्षेत्रों के लिए कम से कम एक मेडिकल कॉलेज और 1 श्रेणी का अस्पताल, 2018 के दौरान केंद्र द्वारा प्रायोजित -II 'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों के साथ संलग्न नए मेडिकल कॉलेजों को स्थापना शुरू की जाएगी। -II, 8 जून 24 मेडिकल कॉलेजों को पहचान को गई है, जिनमें झारखंड के कोडरमा और चाईबासा (सहभूम) में दो -II फरवरी 24 को -V

पिछले चार वर्षों के दौरान राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों में स्थापित मेडिकल कॉलेज (सरकारी/निजी) की संख्या

क्र.	ज	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20	
1	ध प्र	0	5	0	00	0	0	0	0
2		0	0	0	0	0	0	0	0
3		0	0	0	0	0	0	0	2
4	र्त्त	1	2	0	0	0	0	0	0
5	दिल्ली	1	0	0	0	0	0	0	0
6		0	1	1	1	0	2	0	3
7	प्र	1	0	2	0	1	0	0	0
8	र्त्त	0	2	1	1	0		0	1
9	र्त्त	0	0	0	0	0	0	4	0
10		0	0	0	0	0	0	0	0
11		3	2	0	1	0	0	1	1
12		0	3	1	0	0	0	0	0
13	ध प्र	0	5	0	0	4	0	3	0
14	ध प्र	1	1	0	1	1	0	0	1
15		0	0	2	0	2	0	0	0
16		0	0	0	0	0	0	0	0
17	र	0	3	0	0	5	0	0	1
18		1	3	1	0	0	0	1	1
19		2	2	0	0	1	1	3	2
20	उत्तर प्रदेश	1	8	1	1	0	1	7	0
21	त्त	1	1	0	0	0	0	0	0
22	ध्रे	0	1	0	0	0	1	4	1
23	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0
24		0	0	0	0	0	0	0	0
25		0	0	0	0	0	0	0	0
26	र प्र	0	0	0	0	1	0	0	0
27		0	0	0	0	1	0	0	0
28	त्रे	0	0	0	0	0	0	0	0
29	त्त	0	0	0	0	0	0	0	0
30		0	0	0	0	0	0	0	0
31		0	0	0	0	0	0	1	0
		12	39	9	5	16	5	24	13
		51		14		21		37	

प्राथमिक स्वास्थ्य कर्तों म डॉक्टरों को सं०						
क्र. .	ज / न्द्र प्र	(31 , 2018)				
		श	रु	रे	रिक्त	
		[]	[]	[]	[]	[]
1	ध्र प्र	1147	2267	2045	222	*
2	रु प्र	143		125		18
3		946		1376		*
4	#	1899	2078	1786	292	113
5	र्त्त	793	793	359	434	434
6		25	48	56	*	*
7		1474	1865	1321	544	153
8	र्	368	551	491	60	*
9	प्र	576	636	622	14	*
10	म श	637	1347	694	653	*
11		298	556	340	216	*
12		2359	2359	2136	223	223
13		849	1120	1169	*	*
14	ड प्र	1171	1771	1112	659	59
15	प्र	1823	3009	2929	80	*
16		91	238	194	44	*
17	##	108	128	130	*	*
18	###	57	152	59	93	*
19		126	108	118	*	8
20		1288	1326	917	409	371
21		432	593	480	113	*
22	रु	2078	2751	2396	355	*
23	सिक्किम	24		24		0
24		1421	3136	2780	356	*
25		643	1254	1066	188	*
26	त्रे	108	0	119	*	*
27	त्त	257	425	241	184	16
28	त्त प्र	3621	4509	1344	3165	2277
29	श्रे	913	1268	1016	252	*
30	र्त्त	22	42	34	8	*
31		0	0	0	0	0
32		9	15	8	7	1
33		4	5	4	1	0
34	दिल्ली	5	21	22	*	*

35	लक्षद्वीप	4	8	8	0	*
36	च	24	38	46	*	*
	/	25,743	34,417	27,567	8572	3673

1 र : # 2011 के लिए स्वीकृत डेटा का उपयोग /क्या गया

2015 के लिए स्वीकृत डेटा का उपयोग /क्या गया

2013-14 के लिए स्वीकृत डेटा का उपयोग /क्या गया

: ढ १

+

रक्ति और कमी के लिए अखिल भारतीय आंकड़े कुल राज्य- रक्ति और कुछ राज्य/ कंद्रशासित प्रदेशों म अधिशेष को

*

1 आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

2 रक्ति के समग्र प्रतिशत को गणना के लिए, राज्य / संघ राज्य क्षेत्र जिनके लिए जनशक्ति को स्थिति ढ १ ,

१

जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर (जीडीएमओ) -				
क्र.	राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश	(31 , 2018)		
		रु	रु	रिक्त
		[]	[]	[]
1	ध्र प्र	247	203	44
2	रु प्र		119	
3			493	
4			714	
5	र्त्त	453	546	*
6		12	19	*
7		1151	792	359
8	र्त्त	494	317	177
9	प्र	234	165	69
10	जम्मू और कश्मीर	751	586	165
11		849	704	145
12		255	218	37
13		781	1019	*
14	ध्र प्र	1854	881	973
15	प्र	512	486	26
16		97	93	4
17	#	91	82	9
18			16	
19		42	42	0
20		405	731	*
21		282	408	*
22	रु	1403	1150	253
23	सिक्किम		5	
24		4942	4942	0
25		184	145	39
26	त्रे	0	65	*
27	त्त	117	94	23
28	त्त प्र	778	778	0
29	श्रे	1330	1150	180
30	र्त्त	13	13	0
31		0	0	0
32		0	6	*
33		12	5	7

34	दिल्ली	0	0	0
35	लक्षद्वीप	14	14	0
36		18	18	0
	/ 2	17321	17019	2510

टिप्प

2015 र

।

: ढ १

² शक्ति के समग्र प्रतिशत की गणना के लिए, राज्य / संघ राज्य क्षेत्र जिनके लिए जनशक्ति की स्थिति उपलब्ध नहीं है, ।

जिला अस्पताल और उप जिला /उप मंडलीय अस्पताल म डॉक्टर					
(31 , 2018)					
क्र.	उ / न्द्र प्र	र		/ र	
		र	र	र	र
1	ध्र प्र	433	299	668	428
2	रु प्र		397		
3			751		198
4		888	1301	55	286
5	र्त्	956	544	175	53
6		87	69	151	85
7		518	318	435	163
8	f	633	882	312	340
9	प्र	323	529	358	419
10	र श	1352	933		
11		848	579	265	85
12		1727	1366	1841	1302
13		87	502	488	624
14	मध्य प्रदेश	3206	2409	942	568
15	ष्ट्र	1292	875	1362	1348
16		270	230	17	6
17	#	266	266	11	18
18			195		29
19	##	23	175	0	0
20		1427	1094	567	347
21		813	648	782	559
22	र	1998	1466	630	472
23	सिक्किम		88	0	0
24		1869	1403	3372	2555
25		319	158	1356	411
26	त्रे #	84	92	64	88
27	त्त	395	292	290	222
28	त्त प्र	4319	3604	0	0
29	श्च	1766	1330	5277	1665
30	र्त्	36	17	0	0
31	^	117	166	0	31

32		61	68	0	14
33		43	32	0	0
34	दिल्ली	1861	1300	149	107
35	लक्षद्वीप	41	34	9	9
36		508	487		
	/	28,566	24,899	19,576	12432

६ ः # 2015 के लिए स्वीकृत डेटा का उपयोग /क्या गया
 ## / 23
 ^ 2016 के स्वीकृत डेटा का उपयोग /क्या गया
 एनए उपलब्ध नहीं है

कद्व द्वारा प्रायोजित योजना के चरण- II- मौजूदा जिला / रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों को स्थापना
तहत पहचान किए गए 24 मेडिकल कॉलेजों को सूची

क्र. .	ज		राज्य सरकार द्वारा चयनित स्थान
1		1	
		2	
		3	
		4	क
		5	
2		6	
		7	(f)
3	द प्र	8	
4		9	
5	र	10	
6	त प्र	11	
		12	
		13	प्र
		14	
		15	सिद्धाथनगर (f)
		16	f
		17	
		18	
7	श्रे	19	
		20	f
		21	
		22	ग्र
		23	
8	सिक्किम	24	